



न्यायालय तहसीलदार तहसील शंकरगढ़ तहसील, जिला बलरामपुर (छत्तीसगढ़)

स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण अमांक 2016-20-001957

आवेदन तिथि 30/05/2016

आवेदन संख्या 0707011620001917

प्रमाणित किया जाता है कि मर्दीत कुमार पिता समचन्द राम निवासी शाम-चांगरी तहसील-शंकरगढ़ तहसील शंकरगढ़ तहसील जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ राज्य का वासी है।

इसे कि इ-

(1) छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी उसी व्यक्ति को भाग जावेगा जो निम्नलिखित धारा में से एक कंडिका में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है।

2. (क) वह, अथवा

(का) उसके पालकों में से कोई, अथवा

(ग) उसके पालकों में से कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अधिभावक (वारिचयन) छत्तीसगढ़ में निरीक्षण कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है।

3. उसके पालकों में से कोई भी -

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी हो अथवा

(ख) कैरियर शासन का कर्मचारी हो, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं अथवा

5. (घ) उसके पालक राज्य में प्रियते पाँच वर्षों से कोई अधिक सम्पत्ति, उत्तोग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति भी करता है।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अधिभावित नायप्रदेश के छत्तीसगढ़ में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो अर्थात् :-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक प्राप्ति विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या आठवीं कक्षा की परीक्षा,

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडिएट हाइटर सेकेन्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गयी हो तो आठवीं कक्षा की परीक्षा,

(द) अन्य नामकीन में वाचवीं कक्षा की परीक्षा,

(2) उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी एक क्रीड़ा के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होगे -

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अधिल आरतीय सेवाओं के अधिकारीगण तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारी / कर्मचारी तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ में स्थानीय या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर उच्चप्रति दबाव नियुक्त व्यक्ति तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।

(घ) राज्य शासन के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आशोग में पदस्थ पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।

(3) उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी भाग जावेगा उसकी पत्नी / पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।

प्रदेश के स्थानीय निवासी भाग जावेगे।

अनुमोदन तिथि 15/06/2016

डिजिटल स्वताक्षरित

संवाद कुमार विज
मानव तहसीलदार

1. यह अध्याग पर इंटरफूलिनक अध्याग पर को गुहित अतिवाहित है जिसे सूचना फैलाविलो अधिगियम 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ भारतीक सेवा (इंटरफूलिनक अधिगियम) लियन, 2002 के द्वारा मानवत बदल की गयी है।

2. इस इंटरफूलिनक नियाल प्रभाव पर का उल्लंघन व हाइडिकार वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से अधिगियम द्वारा का शर्ताब्दी में दबारा किया गया है तथा इस का नुकसान जानकारी उन इंटरफूलिनक नियाल प्रभाव पर में दिया है।

3. अधिकार सदौ अतिवाहित या उपरोक्त का दूसरे प्रभाव पर की देखत बहुत जानकारी edistrictcouncil.gov.in से अथवा QR-Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।

4. यदि दूसरे प्रभाव पर को किसी प्राधिकारी अथवा कार्यालय द्वारा करने से दबारा किया जाता है तो इसकी सूचना नियाल के सौद्ध सेन्ट्रलोक सेवा फैला दी जाए।

अध्याग दूरभाष क्रमांक 0771-2533350 पर संपर्क करें।



नियाल तिथि 16/06/2016

प्रभाव करने के हस्ताक्षर

ओके लेव चौहान एम्पी में हस्ताक्षर

